राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

परिपत्र

क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पार्ट

जयपुर, दिनांकः– 10/8/16

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान–2016 के दौरान रास्ते संबंधी अनेक समस्याए सामने आई है। रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, 2016 में पूर्व तैयारी के रूप में **'प्रथम चरण'** का अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जायेगी। इसके पश्चात् माह नवम्बर, 2016 से 15 दिसम्बर, 2016 तक रास्तों का अतिक्रमण हटाने हेतु **'द्वितीय चरण'** का अभियान चलाया जाना है।

रास्ते संबंधी कानून/नियम

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 3(i) में भू–अभिलेख अधिकारी को परिभाषित किया है। भू–अभिलेख अधिकारी से तात्पर्य कलक्टर से है। राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के द्वारा धारा 131,132 व 136 की शक्तियाँ उपखण्ड अधिकारियों को दी गई हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का चैप्टर 7 **'सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य'** से सम्बन्धित है। इस चैप्टर की धारा 128 व इसके बाद की धाराएँ जब भू–प्रबन्ध कार्यवाही नहीं चल रही हो, तब लागू होती हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 में **'मानचित्र एवं फील्ड बुक का संधारण'** एवं धारा 132 में **'वार्षिक रजिस्टरों के संधारण'** के प्रावधान हैं। धारा 131 में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है। धारा 132 में भू–अभिलेख अधिकारी पर दायित्व रखा गया है कि वह वार्षिक रजिस्टरों में निर्धारित रीति से उन सब परिवर्तनों को जो हो जाएं, लिखवायेगा।

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत भू–अभिलेखों का संधारण किया जाता है। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 60 में नक्शे में दुरूस्ती करने के प्रावधान हैं। रास्ते हेतु नक्शे में संशोधन करने हेतु अधिसूचना दिनांक 02.04.2008 से संशोधन कर नियम 60 (एच) जोड़ी गयी है एव नक्शे में राजकीय भूमि होने की स्थिति में चालू रास्ते का अंकन का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 58, 59, 66 व 86 प्रासंगिक नियम हैं। नियम 58 गश्त गिरदावरी, नियम 59 नक्शे के सम्बन्ध में, नियम 60 नक्शे में दुरूस्ती के सम्बन्ध में, नियम 66 खेतों के विभाजन के सम्बन्ध में व नियम 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के सम्बन्ध में है।

रास्ते सम्बन्धी निम्न प्रकार की समस्याएँ हैं जिनका निराकरण किया जाना अपेक्षित हैः–

1. **समस्याः–**

(i) सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/ निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू परंतु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं। कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गयी है।

(ii) राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू एवं राजस्व नक्शे में रेखा बिंदुओं (डॉटेड लाइन) से दर्ज सार्वजनिक रास्ते। कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गयी है।

समाधानः–

राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू हैं किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू–अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर नामान्तरकरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी।

2. **समस्याः–**

उपनिवेशन क्षेत्र में रास्ता सम्बन्धी प्रावधान।

समाधानः–

- राजस्थान. उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त 8 (2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिये रास्ते के अधिकार के सजृन करने या आरक्षित करने के अधिकार का प्रावधान अधिसूचना एफ.4(5)उपनि/2006 दि. 11.05.2012 द्वारा किया गया है।
- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 3 (ख) (12) राजस्व/उपनिवेश/73, दिनांक 08.11.1973 एस.ओ. 102 द्वारा शर्त 8 (2) की कलक्टर की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी गई हैं।
- उपनिवेशन क्षेत्रों में जहाँ किले बन्दी हो गई है और रास्ते का प्रावधान प्रत्येक मुरब्बे तक है वहाँ नये रास्ते का अंकन इस अभियान में मुरब्बे किले बन्दी को दृष्टिगत रख पत्थर लाईन को दृष्टिगत किया जावेगा। तथा राजस्थान उपनिवेशन (भू–विकास कार्य नियम) 1976 के प्रावधान को दृष्टिगत रखा जायेगा। शेष प्रक्रिया उक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार की जायेगी।
- उपनिवेशन अधिकारियों को उपखण्ड अधिकारी/कलक्टर की शक्तियां दी गई है। तद्नुसार अधिकारी द्वारा स्वतः स्पष्ट आदेश किया जायेगा और उस का नियम अभिलेख अमल होगा। जिन क्षेत्रों का अभिलेख उपनिवेशन विभाग के पास उन क्षेत्रों हेतु कार्यवाही उपनिवेश विभाग तथा जिन अधिसूचित उपनिवेश क्षेत्रों का अभिलेख राजस्व विभाग के पास है वहाँ राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

3. **समस्याः–**

काश्तकार द्वारा अपने खेत पर जाने हेतु दूसरे काश्तकार की खातेदारी भूमि से नया रास्ता चाहना।

समाधानः–

इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए अन्तर्गत उप–खण्ड अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अन्तर्गत नियम 68–70 में प्रावधान विहित है।

4. **समस्याः–**

खाता विभाजन के समय रास्ते का प्रावधान किया जाना।

समाधानः–

राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के पत्र क्रमांक प5(1) राज.8/97 दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी विभाजन करने से पूर्व प्रत्येक सम्बन्धित काश्तकार के लिए रास्ते का प्रावधान रखेगा।

5. **समस्याः–**

पुख्ता/कटानी/कदीमी रास्तों पर किये गये अतिक्रमण को हटाना।

समाधानः–

बिंदु सं0 1 से 3 में वर्णित रास्तों संबधी कार्यवाही करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के नेतृत्व में जमाबंदी एवं नक्शों में अंकित रास्तों पर यदि कोई अतिक्रमण हो तो उन्हे हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि बिंदु संख्या 1 से 4 की कार्यवाही माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, 2016 में पूर्ण की जावे तथा बिंदु संख्या 5 की कार्यवाही माह नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण की जानी है। जिला कलक्टर द्वारा जिले में सम्पादित उक्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक तौर पर किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि 15 दिसम्बर, 2016 के बाद उनके जिले में रास्ते संबंधी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नहीं है।

(डा0 कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–1) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण व रास्तों का अतिक्रमण हटाने के लिये चलाये जा रहे चरणबद्ध अभियान के संबध में आवश्यक कार्यवाही की जाये।
11. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव